



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 30 3 भाद्र 1943 (श०)
पटना, बुधवार, —————
25 अगस्त 2021 (ई०)

विषय-सूची	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-6	
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9-विज्ञापन	---	
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	7-7	
पुरक	---	
पुरक-क	8-12	

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

1 फरवरी 2021

सं० निग/सारा-(एन०एच०)-उड़नदस्ता-08/2021-670 (S)—श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति सहायक अभियंता (अनुश्रवण), राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पदस्थापन काल में एन०एच०-107 के कि०मी० 100 से 140 (मधेपुरा से बनमनखी) एवं कि०मी० 140 से 180 (बनमनखी से पूर्णियाँ) तक के कार्यों की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-1 से करायी गयी। उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-1 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त पथ के कार्यों में निम्नलिखित त्रुटियाँ/अनियमितताएँ पायी गयी:-

(i) आलोच्य पथ में संवेदक द्वारा DLP में रख-रखाव पूर्ण रूप से नहीं कराये जाने के कारण ही पथ में Pots Develop हो गये।

2. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति सहायक अभियंता (अनुश्रवण), राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना से उपर्युक्त त्रुटियों के लिए विभागीय पत्रांक- 9761 (एस) अनु० दिनांक 11.11.2019 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह के द्वारा पत्रांक- शून्य दिनांक- 15.11.2019 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित किया गया। उक्त समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर के अन्तर्गत मुख्यतः निम्नलिखित तथ्य रखे गये हैं:-

पथ के कि०मी० 101 से 140 तक में DLP समाप्ति के समय Potless था एवं पथ का निरीक्षण DLP समाप्ति के एक माह बाद किया गया था। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि पथ के कि०मी० 141 से 180 तक में कराये गये कार्य का DLP जुलाई-2016 में ही समाप्त हो गया था। तत्पश्चात् PR कार्य हेतु निविदा निष्पादन प्रक्रियाधीन था। निविदा निष्पादन में विलम्ब होने के कारण पथ में Pots उभरना स्वाभाविक है।

3. श्री सिंह के द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर के अन्तर्गत रखे गये तथ्यों की विभागीय समीक्षा की गयी। विभागीय समीक्षोपरान्त पाया गया कि आलोच्य पथ एन०एच०-107 में दो अलग-अलग भाग में कार्य कराया गया। एक भाग कि०मी० 101 से 140 (मधेपुरा-मुरलीगंज-बनमनखी) तक में कार्य कराया गया, जिसका DLP दिनांक 13.02.2017 तक था। दूसरा भाग कि०मी० 140 से 180 (बनमनखी-पूर्णियाँ) तक में कार्य कराया गया, जिसका DLP जुलाई-2016 तक था। उक्त दोनों कार्यों की उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा दिनांक 11.03.2017 को जाँच किया गया। आलोच्य पथ का दूसरा पथांश कि०मी० 140 से 180 (बनमनखी-पूर्णियाँ) तक के संबंध में DLP समाप्त होने के लगभग 08 माह बाद किये गये जाँच में Pots पाये जाने को स्वाभाविक पाया गया और इस हद तक श्री सिंह के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य पाया गया।

परन्तु आलोच्य पथ के कि०मी० 101 से 140 (मधेपुरा-मुरलीगंज-बनमनखी) तक के निरीक्षण में पथ के कि०मी० 101 से 110 एवं कि०मी० 120 से 130 में Pots पाया गया, जो स्वीकृत पथांश 40 कि०मी० का लगभग आधा भाग (20 कि०मी०) है। जिलाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा भी आलोच्य पथांश की स्थिति काफी जर्जर होने के कारण दिनांक 25.02.2017 को सिंहेश्वर महोत्सव के अवसर पर निर्धारित कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। पथ के DLP समाप्त होने के इतने कम अवधि में बड़े पैमाने पर लगभग 20 कि०मी० में Pots पाया जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि DLP में पथ का पूर्ण रूप से रख-रखाव सही ढंग से नहीं किया गया। इस प्रकार श्री सिंह के स्पष्टीकरण को इस हद तक स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. तदनुसार प्रश्नगत मामले की विभागीय समीक्षा के उपरांत श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति सहायक अभियंता (अनुश्रवण), राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक विचारोपरान्त उनके विहित समानुपातिक दायित्व को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार के नियमानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (V) के तहत निम्न दंड संसूचित किया जाता है :-

(i) “दो (02) वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक”।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

1 फरवरी 2021

सं० निग/सारा-(एन०एच०)-उड़नदस्ता-08/2021-666 (S)—श्री रविशंकर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, पटना द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पदस्थापन काल में एन०एच०-107 के कि०मी० 100 से 140 (मधेपुरा से बनमनखी) एवं कि०मी० 140 से 180 (बनमनखी से पूर्णियाँ) तक के कार्यों की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-1 से करायी गयी। उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-1 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त पथ के कार्यों में निम्नलिखित त्रुटियाँ/अनियमितताएँ पायी गयी:-

(i) आलोच्य पथ में संवेदक द्वारा DLP में रख-रखाव पूर्ण रूप से नहीं कराये जाने के कारण ही पथ में Pots Develop हो गये।

2. श्री रविशंकर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, पटना से उपर्युक्त त्रुटियों के लिए विभागीय पत्रांक- 6685 (एस) अनु० दिनांक 29.08.2018 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया एवं श्री प्रसाद को प्रतिनियुक्त विभाग के द्वारा स्पष्टीकरण पत्र को उपलब्ध भी करा दिया गया। श्री प्रसाद को विभागीय पत्रांक-8634 (एस) दिनांक 19.11.2018, पत्रांक-9986 (एस) दिनांक 31.12.2018, पत्रांक-1883 (एस) दिनांक 22.02.2019, पत्रांक-4367 (एस) दिनांक 30.04.2019, पत्रांक-7579 (एस) दिनांक 21.08.2019 एवं पत्रांक-9759(एस) दिनांक 11.11.2019 के द्वारा स्मारित किया गया। श्री प्रसाद के द्वारा अनेक स्मारोपरान्त भी स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित नहीं किया जाना उन पर लगाये गये आरोप की संपुष्टि करता है।

3. राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत एन०एच०-107 के कि०मी० 100-140 (मधेपुरा से बनमनखी) तक में D.L.P अवधि में पथ का पूर्ण रूप से रख-रखाव नहीं किये जाने के फलस्वरूप पथांश की स्थिति काफी जर्जर होने के लिए श्री रविशंकर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को दोषी पाया गया।

4. तदनुसार प्रश्नगत मामले की विभागीय समीक्षा के उपरांत श्री रविशंकर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, पटना के स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुये सम्यक विचारोपरान्त उनके विहित समानुपातिक दायित्व को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग-V शास्तियाँ और अनुशासनिक प्राधिकार के नियम-14 (ii) के तहत निम्न दण्ड संसूचित किये जाने का निर्णय लिया जाता है:-

“चार (04) वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।”

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।**

1 फरवरी 2021

सं० निग/सारा-(एन०एच०)-उड़नदस्ता-06/2021-672 (S)—श्री कमर हासमी, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के पदस्थापन काल में छपरा-बनियापुर-मोहम्मदपुर पथ के कार्यों की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-1 से करायी गयी। उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-1 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त पथ के कार्यों में निम्नलिखित त्रुटियाँ/अनियमितताएँ पायी गयी:-

(i) पथ के कि०मी० 59 में कराये गये P.M.C. कार्य की औसत FDD 1.86gm/cc पाया गया है, जबकि प्रावधान 2.20gm/cc का है।

2. श्री कमर हासमी, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से उपर्युक्त त्रुटियों के लिए विभागीय पत्रांक- 1177 (एस) अनु० दिनांक 22.01.2010 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री हासमी के द्वारा पत्रांक- शून्य दिनांक 09.02.2010 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित किया गया। उक्त समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर के अन्तर्गत मुख्यतः निम्नलिखित तथ्य रखे गये हैं:-

छपरा-बनियापुर-मोहम्मदपुर पथ के 59वें कि०मी० में प्रिमिक्स कॉरपेट का कार्य पूर्णतः विशिष्टि के अनुरूप निर्धारित मात्रा में स्टोन चिप्स एवं बिटुमिन को मिश्रित करने के बाद कराया गया था। बिटुमिन मिक्स WMM परत पर बिछाने के बाद इसका समुचित संपीडन पूर्ण होने के उपरान्त ही पथ बेलन से चपाई का कार्य समाप्त किया गया था।

3. श्री हासमी के द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर के अन्तर्गत रखे गये तथ्यों की विभागीय समीक्षा की गयी। विभागीय समीक्षोपरान्त पाया गया कि P.M.C. कार्य एवं B.M. का प्रावधानित FDD 2.20 gm/cc होता है। जाँच के दौरान P.M.C. कार्य का औसत F.D.D. 1.86 gm/cc ही पाया गया, जो प्रावधान से काफी कम है। यह श्री हासमी के द्वारा त्रुटिपूर्ण कराये गये कार्य को प्रमाणित करता है।

4. तदनुसार प्रश्नगत मामले की विभागीय समीक्षा के उपरांत श्री कमर हासमी, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुये सम्यक विचारोपरान्त उनके विहित समानुपातिक दायित्व को दृष्टिपथ में रखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग-V शास्तियाँ और अनुशासनिक प्राधिकार के नियम-14 के

स्पष्टीकरण-3 के आलोक में "चेतावनी की शास्ति, जिसकी प्रविष्टि उनके चरित्र पुस्त में की जायेगी" अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

सं0 8/पी.3-10-15/2018 गृ0आ0-6018

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 17 अगस्त 2021

विषय :-राज्य मुख्यालय स्तर पर अनुसंधान प्रबोधन कोषांग (Investigation Monitoring Cell) गठन हेतु पुलिस अधीक्षक-01 पद, पुलिस उपाधीक्षक-07 पद, पुलिस निरीक्षक-13 पद, आशु स0अ0नि0-08 पद, कम्प्यूटर संचालक-21 पद, सिपाही-11 पद एवं चालक सिपाही-08 पद सहित कुल 69 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य में अनुसंधान एवं विधि-व्यवस्था का पृथक्करण बिहार सरकार गृह विभाग (विशेष शाखा), पटना के संकल्प सं0-बी/विधि-व्यवस्था-02/2019-6617, दिनांक 24.06.2019 एवं तदनुसार पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय ज्ञापांक-4064/XL-XL (वि0) 45/2019 के आलोक में दिनांक 15/08/2019 के प्रभाव से किया गया है।

2. बिहार पुलिस अधिनियम-2007 की कड़िका-V की धारा-36 में अपराध प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अनुसंधान इकाई (Special Investigation Unit) गठन करने का प्रावधान है।

बिहार पुलिस अधिनियम-2007 की धारा 40 में यह प्रावधान है कि विशेष अनुसंधान इकाई द्वारा अनुसंधानित कांडों का गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने हेतु जिला पुलिस मुख्यालय में एक अपर पुलिस अधीक्षक पदस्थापित रहेंगे जिनके सहयोग के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी पदस्थापित किये जायेंगे। छोटे आकार के जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक के स्थान पर पुलिस उपाधीक्षक पदस्थापित किये जा सकते हैं।

बिहार पुलिस अधिनियम-2007 की धारा 41 में गंभीर एवं जटिल कांडों के अनुसंधान के लिये प्रत्येक जिले में एक अपर पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में विशेष अनुसंधान कोषांग (Special Investigation Cell) के गठन का प्रावधान है। इस प्रकार गठित कोषांग जिला पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित अपर पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्यरत रहेंगे।

बिहार पुलिस अधिनियम की धारा 43 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने या पुलिस महानिदेशक द्वारा आदेशित किये जाने के पश्चात अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा अन्तर्राज्यीय, अन्तर जिला तथा गंभीर प्रकृति के अपराधों का अनुसंधान किया जाएगा।

बिहार पुलिस हस्तक-1978 के अध्याय-15 अन्तर्गत हस्तक नियम 410 एवं 423 में कांडों के अनुसंधान, अनुसंधान नियंत्रण, जिला पुलिस को सहायता प्रदान करने तथा परामर्श देने का दायित्व अपराध अनुसंधान विभाग का है। इस प्रकार अपराध अनुसंधान विभाग अनुसंधानित एवं नियंत्रित कांडों के अलावे भारी संख्या में गंभीर कांडों में जिला पुलिस को परामर्श एवं सहायता प्रदान करता है। इसके अलावे श्वान दस्ता तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला से भी जिला पुलिस को सहयोग स्वरूप सहायता प्रदान की जाती है।

3. विगत वर्षों में प्रतिवेदित कांडों की संख्या तथा लंबित कांडों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए पुलिस हस्तक तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के आलोक में पुलिस मुख्यालय स्तर से इस पर नियंत्रण रखने के लिए एक समर्पित कोषांग के कार्यरत रहने की आवश्यकता है। तदालोक में थाना स्तर पर कार्यरत विशेष अनुसंधान इकाई तथा जिला स्तर पर कार्यरत विशेष अनुसंधान कोषांग के कार्यों के राज्य स्तर पर प्रबोधन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग अन्तर्गत वरीय प्रवर कोटि के एक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अनुसंधान प्रबोधन कोषांग (Investigation Monitoring Cell) का गठन किया जाना है। राज्य में कुल 13 पुलिस क्षेत्र तथा 44 पुलिस जिला (रेल सहित) कार्यरत है। राज्य स्तर पर वरीय प्रवर कोटि के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यह कोषांग अपराध अनुसंधान विभाग में कार्यरत रहेगा। कोषांग में पदस्थापित पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप-महानिरीक्षक (अप0), अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस महानिरीक्षक (अप0), अपराध अनुसंधान विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग के नियंत्रण श्रृंखला में कार्य करेंगे।

क्षेत्रवार अनुसंधान अनुश्रवण हेतु केन्द्रीय क्षेत्र, पटना के लिए एक पुलिस उपाधीक्षक एवं शेष प्रत्येक दो क्षेत्र पर एक-एक पुलिस उपाधीक्षक, प्रत्येक क्षेत्र हेतु 01-01 पुलिस निरीक्षक एवं 01-01 कम्प्यूटर संचालक तथा पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के लिए 01-01 कम्प्यूटर संचालक तथा पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के लिए 01-01 कम्प्यूटर संचालक कुल-21 कम्प्यूटर संचालक सहित 11 सिपाही एवं 08 चालक सिपाही की आवश्यकता होगी।

4. अनुसंधान प्रबोधन कोषांग (Investigation Monitoring Cell) के कार्य :-

अनुसंधान प्रबोधन कोषांग (Investigation Monitoring Cell) के द्वारा निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जायेंगे :-

(क) जिलों के थानों में कार्यरत अनुसंधान इकाई तथा जिला स्तर पर कार्यरत विशेष अपराध कोषांग में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों द्वारा किये गये अनुसंधान में विधिक एवं विधि विज्ञान संबंधी सहयोग प्रदान करना।

(ख) कांडों के अनुसंधान का निष्पादन समय-सीमा के अन्दर कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश एवं मार्ग-दर्शन प्रदान करना।
(ग) जिलों के थानों में कार्यरत अनुसंधान इकाई तथा जिला स्तर पर कार्यरत विशेष अपराध कोषांग में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों को कानून, विधि विज्ञान तथा आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव तैयार कर पुलिस महानिदेशक के माध्यम से सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित करना।

(घ) कांडों के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु विधि विज्ञान एवं आधुनिकतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना।

(ङ) अपराध अनुसंधान विभाग के उच्चतर प्रशिक्षण विद्यालय (A.T.S.) के माध्यम से लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर अनुसंधान की गुणवत्ता को सम्बर्द्धित करना।

5. उपर्युक्त के आलोक में राज्य मुख्यालय स्तर पर अनुसंधान प्रबोधन कोषांग (Investigation Monitoring Cell) के गठन हेतु निम्नांकित पदों के सृजन की स्वीकृति दी जाती है।

क्र०सं०	पदनाम	वेतनस्तर	पदों की संख्या
1	पुलिस अधीक्षक	वेतनस्तर-12	01
2	पुलिस उपाधीक्षक	वेतनस्तर-9	07
3	पुलिस निरीक्षक	वेतनस्तर-7	13
4	आशु स०अ०नि०	वेतनस्तर-5	08
5	कम्प्यूटर संचालक	वेतनस्तर-3	21 (तत्काल कम्प्यूटर संचालक के स्थान पर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा बेल्ट्रॉन से प्राप्त की जाएगी।)
6	सिपाही	वेतनस्तर-3	11
7	चालक सिपाही	वेतनस्तर-3	08
कुल -			69

6. उपर्युक्त पदसृजन की स्वीकृति के फलस्वरूप कुल वार्षिक व्ययभार रू०-4,25,74,528/- (चार करोड़ पच्चीस लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ अठाईस) रुपये अनुमानित है। इस राशि की निकासी मांग मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-आपराधिक, अन्वेषण और सतर्कता, उपशीर्ष-0001-आपराधिक जाँच विभाग, माँग पत्र-22 तथा विपत्र कोड-22-2055001010001 के द्वारा वेतन संबंधी निकासी की जाएगी (व्यय विवरणी संलग्न)।

7. उपर्युक्त में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

सं० 2/सी०1-20-02/2019 (खंड-II) गृ०आ०-5070

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

गिरीश मोहन ठाकुर
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

श्री संजीव कुमार S/o श्री अद्यानंद कुँवर, ग्रा०-मकन्दपुर, पो०-रन्नूचक
मकन्दपुर, थाना-नाथनगर, जिला-भागलपुर, बिहार-812004
श्री शाहिद इकबाल, S/o स्व० मोईद अहमद, ग्रा०+थाना-अजीमाबाद
पो०-बागा, जिला-भोजपुर, बिहार-802164

पटना, दिनांक 27 जुलाई 2021

विषय:- 60वीं से 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार पुलिस सेवा में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर योगदान देने हेतु अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपको 60वीं से 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-5088 दिनांक 27.06.2019 द्वारा बिहार पुलिस सेवा में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर औपबंधिक तौर पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त किया गया था। योगदान देने हेतु अवधि विस्तार के संबंध में आपके द्वारा की गई याचना के आलोक में स्तम्भ-3 में अंकित अवधि तक योगदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र०	नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक का नाम/मेधा क्रमांक	अवधि
1	2	3
1.	श्री संजीव कुमार (195)	15.09.2021
2.	श्री शाहिद इकबाल (260)	15.09.2021

कृपया उपरोक्त के आलोक में निर्धारित समय सीमा के अन्दर निश्चित रूप से योगदान देना सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 19—571+10—डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 806—मैं कंचनमाला, पुत्री सतीश कुमार शर्मा, पति—मनोज कुमार, ग्राम—मानपुर, पो०—मलिया, थाना—चानन, जिला—लखीसराय, बिहार मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र में मेरा नाम कुमारी कंचनमाला है। उसके बाद के सभी मूल प्रमाण पत्र में मेरा नाम कंचनमाला है दोनों नाम मेरा ही है। वर्तमान में मैं कंचनमाला के नाम से जानी एवं पहचानी जाती हूँ। भविष्य में मैं कंचनमाला के नाम से जानी और पहचानी जाऊँगी। शपथ—पत्र सं. 2690/20.07.21 से सत्यापित।

कंचनमाला।

No. 806-- I, **KANCHANMALA** D/o Satish Kumar Sharma, W/o Manoj Kumar, Vill-Manpur, PO-Malia, PS-Chanan, Distt.-Lakhisarai. My name is Kumari Kanchanmala written in Matric certificate after Matric my name is written Kanchanmala in all certificate, both names are of one person. In present I known by Kanchanmala and I will be known as Kanchanmala for all future purposes. Vide affidavit No. 2690/20.07.2021.

KANCHANMALA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 19—571+10—डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 2/एल01-20-07/2012 गृ0आ0-4921

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

22 जुलाई 2021

श्री अरशद जमाँ, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (मु0), दरभंगा के संदर्भ में पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना के पत्रांक-1185, दिनांक 13.07.2021 के द्वारा प्रतिवेदित स्थिति के आलोक में आरोप है कि श्री अरशद जमाँ, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (मु0), दरभंगा, जो कि कोतवाली (पटना) थाना कांड सं0-503/2003, दिनांक 08.11.2003, धारा-147/149/323/307 भा0द0वि0 परिवर्तित धारा-342/302/201/34 भा0द0वि0 के अप्राथमिकी अभियुक्त है, तथा इनके विरुद्ध उक्त थाना कांड में गैरजमानतीय वारंट निर्गत है। इनके विरुद्ध विधि विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0-19/J दिनांक 03.12.2012 द्वारा अभियोजन स्वीकृत है। अभियोजन स्वीकृति के उपरांत इनके विरुद्ध धारा-342/302/201/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0-19/14 दिनांक 31.01.2014 समर्पित है। इनके विरुद्ध सत्रवाद सं0-1463/2013 माननीय जिला सत्र एवं व्यवहार न्यायालय, पटना में विचाराधीन है।

श्री जमाँ ने, तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक-12616/गो0, दिनांक 30.11.2012 के माध्यम से, दिनांक 01.01.2013 से 180 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन दिया, जिसे पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक-4436/एक्स0पी0, दिनांक 13.12.2012 द्वारा स्वीकृति हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया था। उक्त क्रम में विभागीय अधिसूचना सं0-38, दिनांक 02.01.2013 के द्वारा दिनांक 01.01.2013 से 29.06.2013 तक श्री जमाँ को 180 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया।

श्री जमाँ द्वारा उक्त अवकाश के उपभोग के पश्चात् कभी भी भौतिक रूप से अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान समर्पित नहीं किया गया। इस प्रकार श्री जमाँ दिनांक 30.06.2013 से अबतक लगातार अपने कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

श्री जमाँ का स्थानांतरण विभागीय अधिसूचना सं0-4936, दिनांक 29.06.2013 के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), दरभंगा से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डिहरी ऑन-सोन के पद पर किया गया। परन्तु उनके द्वारा उक्त पद पर योगदान समर्पित नहीं किया गया। पुनः विभागीय अधिसूचना सं0-1244 दिनांक 15.02.2014 द्वारा इन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डिहरी ऑन-सोन के पद से पुलिस उपाधीक्षक, विद्युत निगरानी कोषांग, बिहार, पटना के पद पर स्थानांतरित किया गया। परन्तु उनके द्वारा उक्त पद पर भी योगदान समर्पित नहीं किया गया।

इस क्रम में श्री जमाँ द्वारा दिनांक 01.01.2013 से 29.06.2013 तक 180 दिनों के उपार्जित अवकाश के उपभोग तथा इनके विरुद्ध कोतवाली (पटना) थाना कांड सं0-503/2003 में गैर जमानतीय वारंट निर्गत होने के उपरांत इनके द्वारा अबतक अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान नहीं दिया गया।

विभागीय पत्रांक-806, दिनांक 23.01.2020 के द्वारा श्री जमाँ को कर्तव्य से बैगर किसी ठोस कारण से अनुपस्थित रहने के कारण एक माह के अन्दर अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान समर्पित करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया, साथ ही श्री जमाँ को सचेत किया गया कि योगदान समर्पित नहीं करने पर आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई की जायेगी।

विभाग द्वारा दिये गये उक्त निदेश के बाद भी श्री जमाँ द्वारा कर्तव्य पर योगदान समर्पित नहीं किया गया। फलतः विभागीय पत्रांक-6303, दिनांक 25.09.2020 द्वारा अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान नहीं देने एवं बगैर किसी ठोस कारण के चिकित्सीय अवकाश की अवधि विस्तार हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में श्री जमाँ के द्वारा बिहार पुलिस मुख्यालय अथवा सीधे विभाग को प्रेषित चिकित्सीय/उपार्जित अवकाश विस्तार हेतु दिये गये सभी आवेदनों (दिनांक 30.06.2013 से 24.09.2020 तक) को अस्वीकृत कर दिया गया तथा इसकी सूचना श्री जमाँ को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिनांक 10.10.2020 के दैनिक अखबार "दैनिक जागरण" के माध्यम से दिया गया।

श्री जमाँ ने चिकित्सीय अवकाश की याचित अवधि को अस्वीकृत किये जाने के पश्चात् भी दिनांक 02.11.2020 को आवेदन समर्पित कर विभागीय ज्ञापांक-6303 दिनांक 25.09.2020 पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया तथा अपने कार्यस्थल पर योगदान समर्पित करने हेतु Reasonable Time प्रदान करने का अनुरोध किया।

श्री जमाँ द्वारा कर्तव्य पर योगदान समर्पित नहीं किये जाने के कारण उन्हें प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा पुनः दिनांक 05.11.2020 के दैनिक अखबार The Times of India के माध्यम से 15 दिनों के अन्दर योगदान समर्पित करने का निदेश दिया गया। परन्तु श्री जमाँ द्वारा उक्त आदेश की भी अवहेलना की गई।

श्री जमाँ द्वारा उक्त आदेश की भी अवहेलना किये जाने के पश्चात् प्रशासन के सुदृढीकरण हेतु सरकारी सेवकों के कार्यकलापों की आवधिक समीक्षा कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-6832 दिनांक 23.07.2020 के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं०-9 दिनांक 25.01.2021 द्वारा गठित समिति के समक्ष अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2021 को श्री जमाँ के मामले को रखा गया। समिति की अनुशंसा निम्नवत् है :-

"समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि श्री अरशद जमाँ, वरीय पुलिस अधीक्षक हिरासत में रहे अभियुक्त को यंत्राना देकर मृत्युकारित करने के आरोप में कोतवाली (पटना) थाना कांड सं०-503/03 में अभियुक्त हैं, जिसके विरुद्ध धारा-342/302/201/34 भा०द०वि० के अन्तर्गत आरोप-पत्र समर्पित है। उक्त कांड में विद्वान न्यायालय द्वारा श्री जमाँ के विरुद्ध वारंट निर्गत है तथा श्री जमाँ उस कांड में फरार चल रहे हैं। इसलिए श्री जमाँ के 30.06.2013 से कर्तव्य से अनुपस्थिति को सामान्य अनुपस्थिति नहीं मानी जा सकती है।

श्री जमाँ का उपरोक्त आचरण अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन, सरकार के आदेश की अवहेलना का द्योतक है एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी के आचरण के प्रतिकूल है।

विभागीय समीक्षोपरांत अपचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण करने हेतु जांच प्राधिकार नियुक्त कर इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है। इस हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही के संचालन के निमित्त श्रीमती के० एस० अनुपम, पुलिस महानिरीक्षक, आधुनिकीकरण, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा उक्त नियमावली के नियम 17(5)(ग) के तहत श्री अभिजीत कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश :-श्री अरशद जमाँ से अपेक्षा की जाती है कि वे विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्रीमती के० एस० अनुपम, पुलिस महानिरीक्षक, आधुनिकीकरण, बिहार, पटना के कार्यालय में इस संकल्प की प्राप्ति की तिथि से 07 (सात) कार्य दिवस के अन्दर या संचालन पदाधिकारी द्वारा निदेशित निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित होंगे। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्रीमती के० एस० अनुपम, पुलिस महानिरीक्षक, आधुनिकीकरण-सह-संचालन पदाधिकारी एवं श्री अरशद जमाँ, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (मु०), दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

सं० 08/आरोप-01-09/2021, सा०प्र०-7958
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

2 अगस्त 2021

दिनांक 01.05.2021 से बालू उत्खनन का कार्य संबंधित संवेदक द्वारा बंद किये जाने के पश्चात् भी कुछ जगहों पर अवैध बालू उत्खनन एवं गैर कानूनी व्यापार से संबंधित शिकायतों की जाँच आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से करायी गयी। अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक-184/गो० दिनांक 09.07.2021 द्वारा बालू के अवैध खनन, भण्डारण, परिवहन एवं इसमें सम्मिलित व्यक्तियों से संबंधित जाँच प्रतिवेदन गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार, पटना के पत्रांक-3966 दिनांक 09.07.2021 द्वारा प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन में श्री सुनील कुमार सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-789/19, अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी, रोहतास (सम्प्रति निलंबित) के विरुद्ध अवैध बालू उत्खनन में दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, अवैध बालू उत्खनन/परिवहन में संलग्न लोगों की मदद पहुँचाये जाने आदि आरोपों की पुष्टि सी०डी०आर० विश्लेषण एवं आसूचना संकलन के माध्यम से होने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. उक्त आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-7082 (A) दिनांक 14.07.2021 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। जिसके क्रम में श्री सिंह का स्पष्टीकरण दिनांक 19.07.2021 प्राप्त हुआ।

3. श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि जाँच प्रतिवेदन में अवैध उत्खनन में शामिल एवं सहयोग करने वाले पदाधिकारी/कर्मि का सरकारी एवं अन्य मोबाईल नंबरों का पता कर समानान्तरण अनुश्रवण/सी०डी०आर० विश्लेषण, स्थानीय एवं स्थलीय जाँच तथा आसूचना एवं सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर श्री

सिंह को अवैध उत्खनन/परिवहन में संलिप्त रहने का दोषी पाया गया है। अतएव श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए इसकी वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी।

4. अतएव श्री सिंह का स्पष्टीकरण अस्वीकार करते हुए आरोपों की वृहद जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-17 (2) के प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना तथा प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।

5. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है वे अपना बचाव बयान/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मो० सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-21/2016 सा०प्र०-8525

संकल्प

10 अगस्त 2021

श्री विधान चन्द्र यादव, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-725/2011 के विरुद्ध जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर के पदस्थापन काल में मतगणना परिसर से अनुपस्थित रहने तथा बिना पूर्वानुमति अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर रहने संबंधी आरोप पत्र सचिव, राज निर्वाचन आयोग के पत्रांक 5132 दिनांक 07.06.2016 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए श्री यादव से विभागीय पत्रांक-9168 दिनांक 29.06.2016 द्वारा स्पष्टीकरण माँग की गयी। उक्त के क्रम में श्री यादव द्वारा अपना स्पष्टीकरण पत्रांक 16-0945 दिनांक 18.07.2016 समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक 13661 दिनांक 05.10.2016 द्वारा श्री यादव से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, बक्सर से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक 10-2206 दिनांक 05.07.2021 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार्य बताया गया।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिवेदित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

श्री यादव के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, जिला पदाधिकारी, बक्सर से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा श्री यादव को मतगणना परिसर से अनुपस्थित रहने तथा बिना पूर्वानुमति अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर रहने संबंधी आरोप के लिए दोषी पाया गया।

अतएव उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री विधान चन्द्र यादव, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-725/2011 के विरुद्ध जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-19 के संगत प्रावधानों के तहत नियम-14 में उल्लिखित निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

(i) निन्दन (आरोप वर्ष-2016)

(ii) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मो० सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-47/2017 सा०प्र०-8943

संकल्प

16 अगस्त 2021

श्री विकास कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1364/2011 के विरुद्ध जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के पदस्थापन काल में वाहन जांच के दौरान नियम/अधिनियम/निर्देश/अनुदेश का अनुपालन नहीं करने, वाहन जांच के उपरांत विलम्ब से कार्रवाई करते हुए वरीय पदाधिकारियों को भ्रामक सूचना देकर वाहन स्वामी को परोक्ष रूप से लाभ पहुँचाने संबंधी आरोप पत्र आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा के पत्रांक 832 दिनांक 14.06.2017 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक-8377 दिनांक 11.07.2017 द्वारा स्पष्टीकरण माँग की गयी। उक्त के क्रम में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (दिनांक 21.09.2019) प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक 17792 दिनांक 30.10.2019 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा से मंतव्य की

मांग की गयी। उनके पत्रांक 194 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप संख्या-01 की कंडिका-(i) श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है एवं कंडिका-(ii) तथा (iii) आंशिक रूप से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। आरोप संख्या-02 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा आरोप संख्या-3 स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। कालान्तर में श्री कुमार द्वारा आरोप संख्या-3 के संदर्भ में पूरक स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक 3975 दिनांक 19.03.2021 द्वारा श्री कुमार के पूरक स्पष्टीकरण पर आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा से पुनः मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में उनके पत्रांक 358 दिनांक 31.03.2021 द्वारा श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत होने का मंतव्य प्राप्त हुआ।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा द्वारा आरोप संख्या-1 के संदर्भ में श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं तथा आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया गया है।

अतएव आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री विकास कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1364/2011 के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-19 के संगत प्रावधानों के तहत नियम-14 में उल्लिखित निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

(i) निन्दन (आरोप वर्ष-2017)

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो० सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-28/2019 सा.-8974

संकल्प

16 अगस्त 2021

श्री सुशील कुमार मिश्र, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1014/11 (1438/2004) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, परैया, गया के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, गया द्वारा योजनाओं में अनियमितता का आरोप प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रतिवेदित आरोप के लिये विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5218, दिनांक 18.05.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1084, दिनांक 20.10.2008 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। श्री मिश्र के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन एवं संचिका में उपलब्ध तथ्यों के समीक्षोपरांत श्री मिश्र के विरुद्ध योजना के कार्यों में अनियमितता बरते जाने संबंधी आरोप प्रमाणित पाया गया। श्री मिश्र को उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2158 दिनांक 24.03.2009 द्वारा दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दंड संसूचित किया गया।

3. उक्त संसूचित दंडादेश के विरुद्ध श्री मिश्र द्वारा मा० उच्च न्यायालय, पटना में CWJC सं० 10450/2011 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2019 को पारित आदेश का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"6. Once the Authorities resorted to the procedure prescribed under Rule 17 of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 (for brevity, Bihar CCA Rules) by issuance of a charge memo and had subjected the petitioner to an enquiry, they were required to observe the prescribed procedure thereafter before arriving at a final conclusion having penal consequences. The magnitude of the penal consequence is irrelevant in the circumstance. From the records, it appears that without issuing any second show cause notice as required in the Bihar CCA Rules, petitioner has been visited with the order of punishment dated 24.03.2009. The order of punishment is, therefore, quashed.

7 The consequential order dated 21.08.2009 giving effect to the order of punishment, therefore, stands quashed.

8 The petitioner has also filed Review under Rule 24 (2) of the Bihar CCA Rules. The same has been rejected by Annexure 11 dated 24.03.2011 merely affirming the illegal order of

punishment. Since the order of punishment has already been quashed, the same must also collapse and the same is quashed.

9 On the basis of the enquiry report, it would be open to the Enquiry Officer to take appropriate action in accordance with law.

10 Writ petition stands disposed of."

4. उक्त न्यायादेश के आलोक में मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक् विचारोपरांत श्री मिश्र को संसूचित दंडादेश (विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2158 दिनांक 24.03.2009) तथा पुनर्विलोकन अर्जी अस्वीकृत करने से संबंधित विभागीय पत्रांक 3277 दिनांक 24.03.2011 को वापस लिया गया।

5. तदोपरांत न्यायादेश की कड़िका-09 के अनुरूप संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा नये सिरे से अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से निम्न बिन्दुओं पर असहमति व्यक्त की गयी:-

“श्री सुशील कुमार मिश्र, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1014/11 (1438/2004) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, परैया द्वारा मोरहर नदी के तटबंध निर्माण योजना में श्रीमती मंजू कुमारी, आँगनबाड़ी सेविका को अभिकर्ता नियुक्त किया गया। आँगनबाड़ी सेविका सरकार सेवक नहीं होती, क्योंकि मानदेय के रूप में एक-मुश्त राशि दी जाती है, जबकि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के मार्ग-निर्देशों के अनुसार उक्त योजना में विभागीय अभिकर्ता नियुक्त किया जाना था। इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से सरकारी निर्देशों का उल्लंघन किया गया है।”

6. जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 16567 दिनांक 05.12.2019 द्वारा श्री मिश्र से असहमति के बिन्दु पर अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री मिश्र द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन (दिनांक 28.06.2021) समर्पित किया गया।

7. श्री मिश्र के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उनसे प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मिश्र के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया है, किन्तु उनके द्वारा विश्लेषण करते हुए अंकित किया गया है कि योजना के कार्यान्वयन में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई अपितु अभिकर्ता के चयन में त्रुटि हुई है। श्री मिश्र द्वारा भी अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मी योजना के अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे इसलिए उनके द्वारा आँगनबाड़ी सेविका को अभिकर्ता बनाया गया, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के मार्गनिर्देश के विपरीत अभिकर्ता नियुक्त किया गया, जबकि उन्हें विभागीय अभिकर्ता नियुक्त करना था।

8. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री मिश्र का अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है तथा अभिकर्ता के चयन में त्रुटि के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है :-

(i) निंदन (वर्ष-2004-05)

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो० सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 19-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>